



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092020-221698
CG-DL-E-12092020-221698

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2770]
No. 2770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

का.आ. 3117(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 फरवरी, 2020 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 572(अ), तारीख 6 फरवरी, 2020, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के पाली जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" (पाली संस्करण) में तारीख 18 मार्च, 2020 को प्रकाशित कर दिया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के पाली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हैक्टर में	भूमि धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पाली	रायपुर	रायपुर- I I	2338 / 2	असिंचित	बारानीदोयम	0.0357	ओगडराम महेन्द्र कुमार दिलीप पि. चन्द्राराम सा. देह कौम रेगर सा.देह खातेदार
2				2339	असिंचित	बारानीअवल	0.0246	भुराराम पुत्र रामुराम कौम मेघवाल सा. अठियासन तह. नागौर लक्ष्मण उत्तमचन्द पि. ओमप्रकाश कमला पत्नी ओमप्रकाश कौम जटीया सा. देह खातेदार

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2054]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2020

S.O. 3117(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 572 (E), dated the 6th February, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th February, 2020 issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railways Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Pali, in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” (Pali Edition) dated the 18th March, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor, in the district Pali, in the State of Rajasthan

Serial Number	District	Tehsil	Name of Village	Khasra Number	Nature of Land	Type of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pali	Raipur	Raipur-II	2338/2	Non-irrigated	Barani Doyam	0.0357	Ogadram Mahendra kumar Dilip s/o Chandraram Sa.deh caste Regar Sa.deh Khatedar.
2				2339	Non-irrigated	Barani Avval	0.0246	Bhuraram s/o Ramuram caste Meghwal Sa. Athiyasan Th. Nagaur Laxman Uttamchand s/o Omprakash Kamla w/o Omprakash caste Jatiya Sa.deh Khatedar.

[F. No. 2020/LML-II/12/1/WC/2054]

A. K. SINHA, Executive Director (Land and Amenities)